

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-999/दो-6-2018-53(17)/2006
लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 14.01.2018 से 11.05.2018 के मध्य स्वयं के उपचारार्थ 13 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय कुल ₹0-4,680/- के सापेक्ष एक तिथि में ₹0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल ₹0-4,232/- (रूपये चार हजार दो सौ बत्तीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-999(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई0ए0एस0, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1018/दो-6-2018-53(18)/2000
लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन डा0 ललित वर्मा, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 12.04.2018 से 21.05.2018 के मध्य स्वयं के उपचारार्थ 04 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय रू0-4,490.83 के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-2,903.83 अर्थात् कुल रू0-2,904/- (रूपये दो हजार नौ सौ चार मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे डा0 ललित वर्मा, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-1018(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- डा0 ललित वर्मा, आई0ए0एस0, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- ✓5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-987/दो-6-2018-53(62)/97
लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2018

कार्यालय-जाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री एस0एन0 शुक्ल, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 17.04.2018 से 10.05.2018 के मध्य स्वयं के उपचारार्थ 10 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय रू0-5,325/- के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-4,598/- (रूपये चार हजार पाँच सौ अट्ठान्बे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री एस0एन0 शुक्ल आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-987(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री एस0एन0 शुक्ल, आई0ए0एस0, अपर मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1019/दो-6-2018-53(4)/2008
लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज प्रताप सिंह, आई0ए0एस0 को उनके स्वयं के दिनांक 04.04.2018 को डा0 सुधीर कपूर, डेण्टल क्लीनिक, लखनऊ से कराये गये दाँतों के उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0-8,500/- (रूपये आठ हजार पाँच सौ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री राज प्रताप सिंह, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-1019(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (4) अनुभागीय आदेश पुस्तिका/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।
- (5) श्री राज प्रताप सिंह, आई0ए0एस0, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1021/दो-6-2018-53(11)/88
लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री चंचल कुमार तिवारी, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 09.03.2018 से 17.05.2018 के मध्य स्वयं के उपचारार्थ 10 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय रू0-5,098/- के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-3,776/- (रूपये तीन हजार सात सौ छियत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री चंचल कुमार तिवारी, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-1021(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री चंचल कुमार तिवारी, आई0ए0एस0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1020/दो-6-2018-53(11)/88
लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री चंचल कुमार तिवारी, आई0ए0एस0 को उनके स्वयं के दिनांक 30.03.2018 को डा0 उपशाम गोयल, टी.सी. आई सेन्टर, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0-7,500/- (रूपये सात हजार पाँच सौ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री चंचल कुमार तिवारी, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-1020(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (4) अनुभागीय आदेश पुस्तिका/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।
- (5) श्री चंचल कुमार तिवारी, आई0ए0एस0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।